न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 43 / 2021

डा0 रामकिशन पोहिया पुत्र घीसाराम पोहिया पूर्व वरिष्ठ शोध अधिकारी निवासी 152, दीनदयाल नगर, आर0बी0एम अस्पताल के पीछे, भरतपुर।

बनाम

प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, कलैक्ट्रेट भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 02.06.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि डा0 रामकिशन पोहिया पुत्र घीसाराम पोहिया पूर्व वरिष्ठ शोध अधिकारी निवासी 152, दीनदयाल नगर, आर0बी0एम अस्पताल के पीछे, भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 12.04.2021 प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गई थी। प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, कलैक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 361 दिनांक 12.05.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, कलैक्ट्रेट भरतपुर, भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बावत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से उनके पत्र कमांक / 490 दिनांक 24.05.2021 के द्वारा जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक 490 दिनांक 24.05.2021 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनाऐं उपलब्ध करा दी गई है। प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाब की ताईद में पत्र कमांक 454 दिनांक 06.05.2021 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

---2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर को भी भेजी जावे।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर